यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़ देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल के माह 01/2018 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द, पर्यवेक्षक एवं श्री कुलदीप सिंह पंवार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21-01-2021 से 28-01-2021 तक श्री पी.के. गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- प्रथम

परिचयात्मक- इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए0के0 श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2018 से 20.01.2018 तक श्री प्रेमचन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी जिसमें माह 02/2017 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

1- वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2018 से 12/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गयी थी।
2- इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल।

विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		समर्पण
	स्थापन	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	
2017-18	-	-	440.46	439.65	117.91	115.62	3.09
2018-19	-	-	496.20	458.58	140.30	132.09	45.83
2019-20	-	-	440.01	437.16	146.41	145.25	4.00
2020-2021 माह 12/2020 तक	-	-	303.15	303.15	113.70	75.20	38.49

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः-

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय आधिक्य(+)	बचत(-)
2017-18	-	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-	-
2019-20	-	-	-	-	-
2020-21 माह 12/2020 तक					

इकाई को बजट आवंटन केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई कार्यालय, प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल सी श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

प्रमुख सचिव गृह
पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड
पुलिस उपमहानिदेशक प्रशिक्षण
प्रधानाचार्य/पुलिस उपमहानिरीक्षक
उपप्रधानाचार्य/पुलिस अधीक्षक
सैन्य सहायक/पुलिस उपाधीक्षक
प्रतिसार निरीक्षक
निरीक्षक अंत: कक्ष
उप निरीक्षक

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। विस्तृत जांच हेतु माह 06/2018 एवं 10/2020 को चयनित किया गया।

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 01- उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के फलस्वरूप रू 34.20 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली जुलाई 2017 के बिन्दु 3 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त (10) में स्पष्ट प्रावधान है कि निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नही किया जाऐगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जायेगा। अध्याय 02 के बिन्दु 34 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर यदि क्रय की गयी सामगी का मूल्य रू. 25000 से रू. 250000 तक हो तो क्रय की जाने वाली सामग्री को विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जायेगा। क्रय आदेश देने की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य रूप में प्रमाण पत्र देगा एवं अध्याय-2 के बिन्दु 35 में स्पष्ट प्रावधान है रू 2.50 लाख से अधिक की सामग्रियां एवं सेवायें निविदा के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

कार्यालय, प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के बाउचर अभिलेखो की नमूना जाँच मे पाया गया कि इकाई द्वारा कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए नियमित अन्तराल में एवं एक ही तिथि को छोटे-छोटे भागों में विभक्त कर सामग्री का क्रय किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि रू 34.20 लाख की सामग्री का क्रय टुकडों में नही किया होता तो निश्चित ही उक्त क्रय के लिए क्रय समिति एवं निविदा के माध्यम से सामग्री का क्रय करना पड़ता(सूची संलग्नक)। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय करने में नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में सम्पेक्षा द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार ही सामग्री क्रय की कार्यवाही की जायेगी। इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि होती है।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के फलस्वरूप रू 34.20 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर 02:- अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रू 3.91 लाख SGHS अंशदान की वेतन से कटौती न किया जाना।

आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत संशोधित शासनादेश सख्या-(1)XXXVVIII-3-2020 उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कर्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्यकीय उपचार को प्रभावी बनाने हेतु दरों पर प्रतिमाह वेतन अंशदान नियमानुसार किया जायेगा।

1- वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों/पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 100 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 12/2020 तक रू 250/-प्रतिमाह।
2- वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों/पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 200 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 12/2020 तक रू 450/-प्रतिमाह।
3- वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों/पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 300 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 12/2020 तक रू 650/-प्रतिमाह।
4- वेतन लेवल 12 एवं उत्चतर राजकीय कार्मिकों/पारिवारिक पेंशनरों/पेंशनर्स को (09/2018 से 04/2020) रू 400 प्रतिमाह एवं 05/2020 से 12/2020 तक रू 1000/-प्रतिमाह।

विभागाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तानुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी/आहरण–वितरण अधिकारी के माध्यम से की गई है एवं कटौती उपरांत धनराशि राज्य स्वास्थय अभिकरण के खाते में e- transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जायेगी। कार्यालय प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से SGHS अंशदान माह 09/2018 से माह 12/2020 तक रू. 3.91 लाख की कटौती नही की गयी थी (विवरण संलग्नक)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि विभागाध्यक्ष से प्राप्त निर्देशो के अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि शासनादेश निर्गत किये जाने वाले माह को वेतन से SGHS की कटौती किया जाना अपेक्षित था।

जबकि विभाग द्वारा शासनादेश की अवहेलना कर सम्पेक्षा तिथि (12/2020) वेतन से अंशदान की कटौती किया जाना सुनिश्चित नही किया गया था।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अन्तर्गत रू 3.91 लाख SGHS अंशदान की वेतन से कटौती न किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- सामान्य भविष्य निधि पास बुक में ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणना रू 2.27 लाख।

कार्यालय प्रधानाचार्य पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल के सामान्य भविष्य निधि पासबुक एवं लेजर की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की ब्याज की कम गणना की गयी है। विवरण निम्न हैः-

नाम	पदनाम	वर्ष	सा भ नि पासबुक के अनुसार ब्याज	गणना सीट के अनुसार ब्याज	ब्याज का अन्तर
श्री धर्म सिंह रावत	मुख्य आरक्षी आरमोर्रर	2019-20	113049	137361	24312
श्री जसवन्त सिंह रावत	उ0नि0वि0श्रे0		88144	125228	37084
श्री प्रकाश चन्द्र देवली	पुलिस उपाधीक्षक		211364	325851	114487
श्री बृज मोहन पन्त	उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस		61921	95262	33341
श्री शशीपाल आर्या			53742	71649	17907
योग					**227131**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जाँचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी। उत्तर सम्पेक्षा को मान्य नही है क्योंकि उक्त कर्मचारी/अधिकारी आगामी 5 वर्षो में सेवा निवृत्त होने वाले हैं। ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणना करने से कर्मचारी/अधिकारी ब्याज की धनराशि नुकसान होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है।

अतः कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि पास बुकों में ब्याज की त्रुटिपूर्ण गणना किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं.02- ठेकेदारों के देयकों से रु 0.16 लाख उपकर की कटौती न किया जाना।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 3(1) के अनुसार अधिनियम के प्रयोजन हेतु उपकर लगाया और एकत्रित किया जाएगा जो नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत का अधिकतम दो प्रतिशत एवं एक प्रतिशत से कम न हो। विभाग द्वारा विगत दो वर्षों(01/2018 से 12/2020) मे कराये गए लघु निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों के निष्पादन के सापेक्ष ठेकेदारों को कुल रु 16.06 लाख का भुगतान किया गया।

कार्यालय के देयकों की नमूना जांच में यह पाया गया कि ठेकेदारो को निर्माण सम्बन्धी भुगतान करते समय अधिनियम के प्राविधान के अनुसार कुल भुगतान के न्यूनतम एक प्रतिशत उपकर रकम जो कि भवन और अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम कटौती की जानी थी, नही काटी गई। लेखापरीक्षा मे इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में निष्पादित किये जाने वाले कार्यों के सापेक्ष नियमानुसार उपकर की कटौती सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः रु 0.16 लाख का उपकर की कटौती न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं.03- रु 16.06 लाख का अनियमित व्यय।

लेखापरीक्षा अवधि (01/2018 से 12/20200) में लघु निर्माण मद में क्रमशः रु 16.06 की धनराशि का व्यय किया गया था। लघु निर्माण कार्यों की नमूना जाँच में पाया गया कि निष्पादित कार्यों के सापेक्ष माप पुस्तिका का रखरखाव नहीं किया गया, फलस्वरूप लेखापरीक्षा में यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि उक्त ठेकेदार द्वारा वास्तव में क्या कार्य किया गया एवं उसे किस आधार पर भुगतान किया गया। इस प्रकार बिना माप पुस्तिका के कार्य का भौतिक निरीक्षण किए अनियमित भुगतान किया गया।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा मे इंगित किये जाने पर कार्यालय ने उत्तर मे दिया कि भविष्य मे अभिलेखों का रख रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(अ) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 अ प्रस्तर संख्या	भाग-2 ब प्रस्तर संख्या
70/2017-18	-	प्रस्तर संख्या- 04

(ब) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
70/2017-18	भाग दो (ब) 04	प्रस्तुत	अनुपालन न किये जाने के कारण प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः

----------शून्य ----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमिततायें: शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष डी0डी0ओ0 का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री पुष्कर सिंह सैलाल	प्रधानाचार्य	22.08.2016	03.02.2016
2.	श्री ए.पी. अंशुमान	प्रधानाचार्य	08.02.2016	19.05.2018
3.	श्री अजय जोशी	प्रधानाचार्य	19.05.2018	31.12.2018
4.	श्री मुख्तार मोहसीन	प्रधानाचार्य	03.01.2019	09.10.2020
5.	श्री राजीव स्वरूप	प्रधानाचार्य	10.12.2020	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, प्रधानाचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए.एम.जी.-III को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-III